दिनांक 08.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 247/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बरेली इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 08.05.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बरेली इकाई** द्वारा ऐंजिला मैसी निवासी असलम कॉलोनी थाना इज्जतनगर जनपद बरेली से शिकायतकर्ता के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग के निस्तारण के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में बैरियर-2 पुलिस चौकी से **उ0नि0 विमल सिंह चौहान (थाना इज्जतनगर बरेली)** पुत्र स्व0 कमलेश सिंह चौहान निवासी ग्राम पिपरसण्ड थाना सरोजनी नगर कमिश्नरेट लखनऊ को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 08.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 248/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद महराजगंज/थाना बृजमनगंज

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 08.05.2026 को थाना बृजमनगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना बृजमनगंज क्षेत्र से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–दिनेश 2–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना बृजमनगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दिनेश निवासी यशोधरा गांव, बसंतपुर थाना तौलिहवा जनपद कपिलवस्तु नेपाल।

2–अभियुक्ता।

जनपद संतकबीरनगर/थाना बखिरा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 24 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 08.05.2026 को थाना बखिरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त अरमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 24 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना

के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपये चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बखिरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरमान निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी

1–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के 24 हजार रूपये नगद।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना रेउना

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की लगभग 06 लाख रूपये कीमत की ट्रांसफार्मर के पार्ट्स, मोटा तार/केबिल**
- **चोरी के माल ब्रिकी के नगद रूपये आदि बरामद**

दिनांक 07.05.2026 को थाना रेउना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेउना नहर पुल के पास से 04 अभियुक्तों 1–वीरेन्द्र उर्फ मल्हू उर्फ छोटे 2–गोविन्द 3–सुजीत उर्फ पप्पू 4–रोहित उर्फ करिया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की लगभग 06 लाख रूपये कीमत की ट्रांसफार्मर के पार्ट्स, मोटा तार/केबिल, चोरी के माल ब्रिकी के नगद रूपये आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि कमिश्नरेट कानपुर नगर के थाना क्षेत्रों में चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर चोरी के अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ट्रांसफार्मर के पार्ट्स, मोटा तार/केबिल आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ मल्हू उर्फ छोटे के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त गोविन्द के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रेउना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वीरेन्द्र उर्फ मल्हू उर्फ छोटे निवासी ककोरी थाना बिधनू, कानपुर नगर।

2–गोविन्द निवासी कुठई थाना बिधनू, कानपुर नगर।

3–सुजीत उर्फ पप्पू निवासी टेड़ापुरवा थाना बिधनू, कानपुर नगर।

4–रोहित उर्फ करिया निवासी कुठई थाना बिधनू, कानपुर नगर।

बरामदगी

1–चोरी की लगभग 06 लाख रूपये कीमत की ट्रांसफार्मर के पार्ट्स, मोटा तार/केबिल ।

2–चोरी के माल ब्रिकी के नगद रूपये आदि।

- **जनपद आजमगढ़/थाना अतरौलिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना अतरौलिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त देवानंद उर्फ गोलू को आजीवन कारावास व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना पहासू (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना पहासू पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–राहुल 2–अमलेश 3–सोनू को धारा 304(1)/149/307/452/323/148 भादवि के अन्तर्गत 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 75–75 हजार रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 4–राजू को धारा 304(1)/149/452/323/506/148 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 5–अमित को धारा 304(1)/149/452/323/506/148 के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना खेकडा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना खेकडा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/404 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजू उर्फ राजीव को आजीवन कारावास व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 08.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 249/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा उच्चस्तरीय अपराध समीक्षा बैठक

- **पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा जन शिकायतों एवं IGRS प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु थाना एवं चौकी स्तर पर प्रभावी जनसुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।**
- **संवेदनशील घटनाओं में त्वरित कार्रवाई, तथ्यात्मक एवं समयबद्ध मीडिया ब्रीफिंग तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुँचकर प्रभावी पर्यवेक्षण करने पर विशेष बल दिया गया।**
- **नव नियुक्त 60,000 आरक्षियों का बीट पुलिसिंग, फुट पेट्रोलिंग एवं जन संवाद में अधिकतम उपयोग करने तथा उनके व्यवहारिक प्रशिक्षण, आवास एवं मेस व्यवस्था की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए।**
- **सोशल मीडिया के माध्यम से सीमा पार से युवाओं को दुष्प्रेरित करने वाले आपराधिक नेटवर्क के साथ ही जातिगत वैमनस्यता फैलाने वालों पर सतर्क निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया।**
- **गोकशी, गो-तस्करी, हत्या एवं लूट जैसी गंभीर अपराध की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाने तथा बीट सूचना प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।**

आज दिनांक 08 मई 2026 को पुलिस मुख्यालय में **श्री राजीव कृष्ण,** पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (प्रभारी जनपद) के साथ ऑनलाइन माध्यम से उच्चस्तरीय अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मुख्य रूप से जन शिकायतों एवं आईजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण, विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन, ज़ीरो फ़ैटलिटी डिस्ट्रिक्ट (ZFD) व C-RTC (City-Reducing Traffic Congestion) अभियान, डूबने से होने वाली दुर्घटनाओं, ई-सम्मन व ई-साक्ष्य के प्रभावी उपयोग तथा अन्य महत्वपूर्ण कानून-व्यवस्था से संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

सर्वप्रथम, पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण ने क्राइम इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के सकारात्मक परिणामों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक अपराध शीर्षक में बेहतर प्रदर्शन अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत एवं समर्पण का प्रतिफल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम इसी लगन और परिश्रम के साथ कार्य करती रहेगी , जिससे भविष्य में भी इसी प्रकार के उत्साहजनक परिणाम सामने आते रहें।

<u>अपराध गोष्ठी के मुख्य बिंदु</u>

1. जन शिकायतों एवं IGRS प्रकरणों की समीक्षा

- पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा निर्देशित किया गया कि जन शिकायतों एवं आईजीआरएस के प्रकरणों में चौकी स्तर पर ही नियमित सुनवाई करते हुये प्रार्थना पत्रों का समुचित एवम् संतोषजनक निस्तारण किया जाए।
- मिशन शक्ति केन्दों के माध्यम से महिला सम्बन्धी एवम् पारिवारिक शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष बल दिया गया।

2. कानून-व्यवस्था एवं संवेदनशील घटनाओं के संबंध में निर्देश

- कानून व्यवस्था उत्पन्न करने वाली संवेदनशील घटनाओं में त्वरित कार्रवाई की जाये एवं कारणों की समीक्षा कर पुनरावृत्ति रोकी जाये।
- कानून व्यवस्था उत्पन्न करने वाली घटनाओं में अधिकारियों द्वारा मीडिया को स्पष्ट, तथ्यात्मक एवं समयबद्ध पुलिस पक्ष उपलब्ध कराया जाए।
- गम्भीर घटनाओं में परिक्षेत्र एवं जोन के वरिष्ठ अधिकारी भी स्वयं मौके पर पहुँचकर प्रभावी पर्यवेक्षण करें।

3. सोशल मीडिया पर राष्ट्रविरोधी एवं जातिगत वैमनस्यता फैलाने वाले तत्वों की निगरानी

- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा एटीएस द्वारा हाल ही में पकड़े गए मामलों का उल्लेख करते हुए निर्देशित किया गया कि सीमापार से संचालित आपराधिक एवं आतंकवादी नेटवर्क द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को दुष्प्रेरित किए जाने की घटनाओं पर सतर्क निगरानी व प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- सोशल मीडिया के माध्यम से जातीय वैमनस्यता फेलाने का प्रयास करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें एवं मीडिया को सही तथ्यों से तत्काल अवगत कराया जाय।
- सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीमों को और अधिक सक्रिय एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर बल दिया गया।

4. 60,244 नवआरक्षियों की तैनाती एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्बंधी निर्देश

- पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा नव नियुक्त 60,244 आरक्षियों के प्रशिक्षण को उत्तर प्रदेश पुलिस हेतु @Once in a generation opportunity" बताते हुए उनके प्रभावी व्यवस्थापन, उन्मुखीकरण एवम् अनुकूलन के निर्देश दिए गए।
- नवआरक्षियों का थाने की कार्यप्रणालियों के साथ-साथ बीट पुलिसिंग, फुट पेट्रोलिंग एवं जन संवाद में अधिकतम उपयोग किया जाए।
- अधिकारी नवआरक्षियों की मेस, आवास एवं प्रशिक्षण व्यवस्था का नियमित निरीक्षण करें तथा उनके साथ व्यक्तिगत संवाद स्थापित करें तथा समय-समय पर थाना प्रभारी व अन्य उच्चाधिकारी उनके साथ स्वयं मेस में भोजन करें ताकि बेहतर समन्वय बना रहे।
- दंगा नियंत्रण ड्रिल का नियमित अभ्यास कराया जाये।

5. गोकशी एवं गो-तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई

- गोकशी एवं गो-तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाया जाये।
- गो-तस्करी से जुड़े वित्तीय नेटवर्क एवं फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंक की पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाये।

6. अपराध समीक्षा एवं हत्या/लूट की घटनाएँ

- लूट एवं हत्या की घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करते हुये समयबद्ध एवं प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।
- बीट सूचना प्रणाली एवं स्थानीय स्तर पर समयबद्ध कार्रवाई को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।

7. ई-साक्ष्य, ई-समन एवं विवेचना मॉनिटरिंग सम्बंधी निर्देश

- ई-साक्ष्य एवं SID लिंकिंग में प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए सभी जनपदों को निरंतर सुधार हेतु निर्देशित किया गया।
- मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालयों के माध्यम से अधिकाधिक ई-समन जारी कराने तथा उनकी समयबद्ध तामीला सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

8. सड़क सुरक्षा एवं ट्रैफिक प्रबंधन

- प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से चलायी गयीं ZFD योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि इसके बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, इसमें निरंतर सुधार की आवश्यकता है।
- प्रदेश के 20 जनपदों में यातायात जाम की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से चलायी गयी C-RTC योजना के भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसमें और अधिक सुधार के निर्देश दिये गये।
- C-RTC योजना के क्रियान्वयन हेतु बनायी गयी सीसीटी टीम एवं थाना पुलिस के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया।

9. जल दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु विशेष प्रयास

- नदी, नहर एवं जलाशयों में डूबने से होने वाली घटनाओं को रोकने हेतु खतरनाक स्थानों की पहचान कर चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग एवं लाइफ जैकेट की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाये।
- स्थानीय पुलिस एवं SDRF द्वारा नियमित जागरूकता एवं निगरानी अभियान चलाया जाये।

10. गिरफ्तारी के दौरान BNSS के प्रावधानों के अनुपालन सम्बंधी निर्देश

- विवेचक एवं थाना प्रभारी गिरफ्तारी के दौरान “ग्राउंड ऑफ अरेस्ट” एवं “रीजन ऑफ अरेस्ट” का स्पष्ट उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करें।
- बीएनएसएस एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप गिरफ्तारी मेमो पूर्ण रूप से भरने तथा SOP का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

11. कस्टोडियल डेथ की रोकथाम हेतु निर्देश

- थानों पर किसी भी बंदी को बिना निगरानी के न रखा जाए तथा हवालात की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।
- क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि थानों में अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति को बैठाकर न रखा जाए तथा SOP का कड़ाई से पालन किया जाए।

पुलिस महानिदेशक द्वारा अंत में अपराध गोष्ठी में दिये गए समस्त निर्देशों के प्रभावी अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया।